

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुत्तकिली प्रकरण संख्या 170/2025 (GCMS : 2025/259)

विकास डूडी पुत्र श्री राम सिंह जाति जाट निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर हाल निवासी चक 9 एलएलजी, डूडियावाली ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. अमीत पुत्री स्व. श्री राम सिंह पत्नी श्री अमित कुमार जाति जाट निवासी लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद खाटवा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. मीनाक्षी पुत्री स्व. श्री राम सिंह पत्नी श्री प्रमेन्द्र खिचड़ जाति जाट निवासी लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर हाल निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर



22.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलवन्त बिश्नोई उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 208/2025 अनवान् अमीता वगै. बनाम विकास डूडी अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए मुत्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण मुत्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुत्तकिली प्रार्थना उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 208/2025 अनवान् अमीता वगै बनाम विकास डूडी अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर